न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां ।
पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 13/2008
वादीनी :–

1 भीयाराम पुत्र श्री केशाराम
जाति विश्नाई निवासी हाणिया
2 सवाईराम पुत्र श्री नरूराम
3 मांगीलाल पुत्र श्री नरूराम
जाति राईका निवासी खावडा खुर्द
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

प्रतिवादी :–

1 बुधाराम पुत्र श्री धोकलराम
2 जगदीश पुत्र श्री बुधाराम
3 श्रीमति सोमारी पत्नि श्री बुधाराम
4 श्रीमति रूकमा पत्नि श्री जगदीश
जाति विश्नोई निवासी खाबडा खुर्द

उपस्थिति –
1 श्री चन्दनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी की ओर से ।
2 श्री जगदीशी चन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.एक्ट. 1955

– निर्णय – **दिंनाक** – 22/12/2012

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खाबडा खुर्द के खसरा नम्बर 1350/1 रकबा 30 बीघा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 1558/1 रकबा 11बीघा 18 बीस्वा, कुल रकबा 42 बीघा 1 बीस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । प्रतिवादीगण संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान वादीगण संख्या 2 व 3 को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के दिंनाक 14.4.1975 को बएवज रूपये 3500 रूपये मे करके कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से लेकर आज तक कब्जा व काश्त वादीगण का चला आ रहा है । वादीगण संख्या 2 व 3 ने उक्त भूमि मे से 40 बीघा भूमि का बेचान वादी संख्या 1 को दिंनाक 2.1.2008 को को बएवज रूपये 200000/– अक्षरे दो लाख मे करके कब्जा मौके पर सुपर्द कर दिया है । वर्तमान मे तीनो ही वादीगण खातेदार व काबिज है । दिंनाक 31.1.2008 को प्रतिवादीगण ने नाजायज तौर से वादीगण के उक्त खेत मे घुस कर खीपडो व बोरडीयो के पेड काट कर चुराये तथा एक झोपडी लेकर उक्त भूमि मे रख दी जिस पर वादी संख्या 1 ने प्रतिवादीगण के खिलाफ पुलिस थाना औसिया मे दिंनाक 2.2.2008 को मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर पुलिस ने उक्त झोपडी को बतौर वजह सबूत के बरामद कर थाने ले आये तथा आगे तफतीस जारी है । प्रतिवादीगण ने दिंनाक 3.2.2008 को वादीगण को ऐलानिया धमकी

सहायक कलक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner

कि पुलिस झोपडी ले गई तो क्या हुआ और दुसरी झोपडी लाकर रख देगे तथा दीगण की उस भूमि पर जबरन कब्जा कर लेगे इस कारण से वादीगण को पूरा भय शंका पैदा हो गई है कि प्रतिवादीगण भविष्य मे कभी भी फिर से ऐसी बेजा हरकत र सकते है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निष्पोधाज्ञा हेतु यह वाद ा किया है । वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी की व कब्जे काश्त की होने के रण प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा व काश्त करने का धिकार नही है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के धिकारी है । वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त तथा वामित्व नही होने के कारण तथा स्ट्रेन्जर व्यक्ति होने से एंव वादीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण के पक्ष मे बनता है । प्रतिवादीगण यदि वादग्रस्त भूमि पर फिर से झोपडा वगैरा रखकर किसी प्रकार का नाजायज कबजा कर लेगे तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सकेगी एवं सुविधा का सन्तलन भी वादीगण के पक्ष मे बनता है ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया । प्रतिवादी की तरफ से वकील श्री जगदीशचन्द चौधरी द्वारा वकालात नामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी की तरफ से अपने जबाब मे बताया कि सरहद मौजा खाबडा खुर्द मे खेत खसरा नम्बर 1350 रकबा 120 बीघा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 1558 रकबा 47 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 167 बीघा 15 बीस्वा भूमि स्थित है जो भूमि आज भी एक ही चक मे स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण संख्या एक बुधाराम 1/4 हिस्सा की खातेदारी की है प्रतिवादीगण संख्या 1 बुधाराम ने वादीगण संख्या 2 व 3 को उक्त खसरान की जमीन मे से कोई भूमि का हिस्सा बेचान नही किया । खसरा नम्बर 1350/1 रकबा 30 बीघा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 1558/1 रकबा 11 बीघा 18 बीस्वा की भूमि वादीगण संख्या दो व तीन ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी गलत तरीके से अलग करवा दी । यह भूमि न तो वादीगण के खातेदारी की है न ही उनके कब्जे काश्त मे आई हुई है । प्रतिवादीगण संख्या 1 बुधाराम ने तथाकथित वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार का कोई बेचान वादीगण संख्या 2 व 3 को जरीये रजिस्टर्ड दिनाक 14.4.1975 को बएवज रूपये 3500 मे नही किया और न ही भूमि का कब्जा ही सुपुर्द किया । वादग्रस्त जमीन का कब्जा व काश्त आरम्भ से लेकर आज तक प्रतिवादीगण का चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 बुधाराम ने वादीगण संख्या 2 व 3 व दीगर व्यक्तियो के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण श्री मान सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट औसिया केसमक्ष इस कदर का पेश किया कि वादीगण संख्या 1 व 2 सवाईराम व मांगीलाल ने प्रतिवादीगण संख्या 1 बुधाराम के स्वय की खातेदारी खेत

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 1350 रकबा 120 बीघा 3 बीस्वा व खसरा नम्बर 1558 रकबा 47 बीघा 12 बीस्वा वाके खाबडा खुर्द स्थित उक्त रकबा 167 बीघाा 15 बीस्वा भूमि के 1/4 हिस्सा जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 बुधाराम का कब्जा काश्त था जिस भूमि को अभियुक्तगण वादीगण संख्या 3 व 2 ने दिंनाक 25.3.1975 को षडयन्त्र रचकर प्रतिवादी संख्या 1 बुधाराम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बुधाराम बनाकर प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन का फर्जी बेचान अपने हक मे करवा लिया । प्रतिवादीगण संख्या 1 बुधाराम ने सब रजिस्ट्रार औसिया के समक्ष उपस्थित होकर उक्त खसरान की भमि का कभी बेचान नही किया । अभियुक्तगण प्रतिवादीगण संख्या तीन व दो ने खसरा नम्बर 1350 मे से 30 बीघा 15 बीस्वा व खसरा नम्बर 1558 रकबा मे से 11 बीघा 10 बीस्वा भूमि का बेचान षडयन्त्र पूर्वक परिवादी प्रतिवादीगण संख्या 1 की जगह फर्जी व्यक्ति पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि हडप करने की नीयत से आर्थिक हानि पहुचाने की गरज से अपने फायदे के लिए अवैध बेचान करने का कृत्य किया जिस पर न्यायालय सिविल जज एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट औसिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का परिवाद पुलिस थाना औसिया को मुकदमा जुर्मधारा 420 , 467,468,120 बीघ भा.द.सं. का दर्ज करने बाबत भेजा , पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 20 दिंनाक 1.2.2008 पर दर्ज किया व तफतीश कर अनुसंधान पत्रावली माननीय सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट औसिया के समक्ष प्रस्तुत की जहां उक्त फौजदारी प्रकरण आज भी चल रहा है । इस प्रकार वादीगण संख्या 1 व 2 ने यह फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि हडप करने की नीयत से राजस्व रेकर्ड मे फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज करवाया तथा जब वादीगण संख्या 3 व 2 को इस बात की तसली हो गई कि वादग्रस्त जमीन उनके हक मे से चली जायेगी तब वादीगण संख्या 1 भीयाराम के साथ षडयन्त्र रचकर उसके हक मे दिंनाक 2.1.2008 को वादीगण संख्या 3 व 2 ने वादीगण संख्या 1 के पक्ष मे आगे बेचान करवा दिया । वादीगण संख्या 1 जो पूर्व उप प्रधान भी है तथा पैसो मे भी सम्पन्न है जिसने वादीगण संख्या 2 व 3 से मिलावट कर अपने पक्ष मे रजिस्ट्री करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि से महरूम करने की नीयत से योजनाबद्व तरीके से उक्त वाद प्रस्तुत किया । इस प्रकार वादीगण संख्या 2 व 3 व वादीगण संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है और न ही उनको कोई किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार ही प्राप्त है । वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण की झोपडी व उनका कब्जा काश्त आरम्भ से है प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि मे सवत् 2040 मे रहवासीय झोपडा बनायाथा जिस बाबत वादीगण संख्या 1 ने पुलिस थाना औसिया के थानाधिकारी व सिपाहीयो से मिलकर एक झुठी व बनावटी रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 के

Scanned with CamScanner

रूद्ध रिपोर्ट दिनाक 2.2.2008 को करवाई तथा वादीगण संख्या 1 भीयाराम ने अपने जनैतिक प्रभाव व पैसो के बल पर एक गरीब प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध मुकदमा र्ज करवाया तथा गलत तरीके सेदौराने तफतीस मनमर्जी से कागजी कार्यवाही व फतीस करवाई । जो प्रथम सूचना रिपोर्ट वादीगण संख्या 1 ने पुलिस से मिलकर दर्ज रवाई उसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से इस पद मे हवाला दिया है ।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा ाजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया । वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के जबाब ावा के आधार पर विवाद्यक कायम किये गये जिसमे से विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के जिम्मे रखी गई तथा विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के जिम्मे रखी गई । तत्पश्चात ादीगण के साक्ष्य मे पी. डब्ल्यू.1 भीयाराम, पी डब्ल्यू 2 केवलराम पी.डब्ल्यू –3 मवाईराम, पी. डब्ल्यू–4 भवंरलाल, तथा दस्तावेजी सबूत मे ई.एक्स –2 जमाबन्दी, ई. क्स–2 एफ.आई.आर., ई.एक्स –3 म्यूटेशन , ई.एक्स.–4 बेचान नामा प्रदर्शित करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य मे डी.डब्ल्य–1 केवलराम, डी.डब्ल्यू .–1 धोकलराम, डी. डब्ल्यू–3 बुधाराम के बयान करवाये तथा दस्तावेजी सबूत मे ई.एक्स.डी–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, ई.एक्स.डी.–2 प्रोटेस्ट पिटिसन, ई.एक्स.डी.–3 ओर्डरसीट, की प्रमाणित नकल, प्रदर्शित करवाई गई । पत्रावली का अवलोकन कियागया हमारा तरकीवार निनिश्चय निम्न प्रकार से है :–

तनकी संख्या 1– आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है । पी.डब्ल्यू भीयाराम ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र मे बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण जरीये रजिस्टर्ड बेचान नामा के खरीद सुदा भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड मे वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की है तथा शपथ पत्र पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वादीगण के उक्त शशपथ बयान को नही मानने व प्रदर्शित राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात को नही मानने का कोई कारण नही है । प्रतिवादीगण की तरफ से इसका कोई ठोस खण्डन नही किया गया है इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 – आया प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का बेचान वादीगण को कभी नही किया था , कब्जा वादीगण को सुपुर्द नही किया व कब्जा काश्त आज दिन भी प्रतिवादीगण का है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । प्रतिवादी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड बेचान नामा को नही मानने का कोई माकुल कारण प्रस्तुत नही कर पाये है

Scanned with CamScanner

र न ही उक्त बेचान नामा को किसी सक्षम न्यायालय से केन्सिल होना बताया है र न ही अपना कब्जा साबित कर पाये है । प्रतिवादीगण की तरफ से उक्त तनकी ो साबित करने के लिए किसी प्रकार की कोई स्वतन्त्र मोखिक साक्ष्य या दस्तावेजी ाक्ष्य पेश नही हुई है इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादीगण के पक्ष मे नेर्णित की जाती है ।

उक्त प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का विवेचन व विश्लेषण करते हुए तनकीवार मारा निष्कर्ष है कि वादी अपने जुमे की तनकी संख्या 1 को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित व साबित किया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने जुमे की तनकी संख्या 2 साबित व प्रमाणित नही कर पाये है इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खाबडा खुद्र के खसरा नम्बर 1350/1 रकबा 30 बीघा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 1558/1 रकबा 11 बीघा 18 बीस्वा कुल रकबा 42 बीघा 1 बीस्वा भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और न ही किसी अन्य से करावे , तदनुसार डिक्री जारी की जावे । खर्चा दावा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर की जावे ।

सहायक कलक्टर, औसिया

निर्णय आज दिंनाक 22/12/2 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर ,ओसियां

Scanned with CamScanner